an>

Title: Need to take adequate measures for all round development of Sagar District, Madhya Pradesh.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर) ः नियम 377 के माध्यम से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सागर (मध्य प्रदेश) विकास संबंधी बाहुल्य स्रोत और शिक्षा क्षेत्र में व्यापक साक्षरता स्तर होने के बाद भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है और औद्योगिक पिछड़े जिलों की "बी" श्रेणी में है। डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के कारण इस जिले का साक्षरता स्तर 77 प्रतिशत से भी अधिक है और महिलाओं में शिक्षा के प्रति लगाव है। जिन्हें कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर उन्हें कुशल श्रेणी में लाया जा सकता है और इस मानव शक्ति का उपयोग देश के विकास एवं सेवा कार्यों में समुचित ढंग से किया जा सकता है। यह जिला भारत के बीचो-बीच है। इस जिले में विकास का बुनियादी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। जिसके लिए सड़कें, सिंचाई एवं सोयाबीन आधारित छोटे-छोटे उद्योग लगाये जाने जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागर जिले को देश के 100 चयनित स्मार्ट सिटी में रखा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में विकास की काफी संभावनाएं हैं इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सागर जिले को पिछड़े जिले से एक विकासशील जिले में परिवर्तन करने के लिए अध्ययन और सर्वे किया जाये।